मुख्य मंत्री
विकास यात्रा

ज0शि0को0उद्योग (01) 04/08 वि0या0 2568

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
मुख्य सचिव का जन शिकायत कोषांग,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 10.7.09

विषय:– **मुख्य सचिव से प्राप्त मुख्य मंत्री विकास यात्रा के संदर्भ संख्या 1902930004 दिनांक 24.04.09/1902930210 दिनांक 12.06.09 एवं 2002390008 दिनांक 05.05.09 के अनुमोदन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आपके पत्रांक 246 दिनांक 24.04.09 के साथ मुख्य मंत्री विकास यात्रा का संदर्भ संख्या क्रमशः 1902930004, पत्रांक 538 दिनांक 06.05.09, संदर्भ संख्या 1902930210 एवं पत्रांक 488 दिनांक 05.05.09 संदर्भ संख्या 2002930008 के संबंध में नियमानुकुल कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई पत्र (Action Taken Latter) तैयार कर प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध निदेशक, तकनीकी निदेशालय से किया गया था। निदेशक द्वारा प्राप्त उपरोक्त तीन संदर्भ संख्या पर कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई पत्र पत्रांक 718, 719 एवं 724 दिनांक 03.07.09 द्वारा उप सचिव, उद्योग विभाग को उपलब्ध कराया गया है। जिसे मूल रूप में पत्र के साथ संलग्न कर मुख्य सचिव महोदय के अनुमोदनार्थ भेजा जा रहा है।

कृपया पावती स्वीकार करने की कृपा करें।

अनु0:–यथा उपरोक्त

विश्वासभाजन

10/7/09

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:\DSK\Janta Durbar CM

(23)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

पत्रांक–डी०टी०डी / डी०–3 / 1 / 2009- 724 /पटना, दिनांक– 7/7/09

प्रेषक,

अशोक कुमार,
संयुक्त निदेशक(तक0)–सह–लोक सूचना पदाधिकारी,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सरकार के उप सचिव,
जन शिकायत कोषांग,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– **मुख्य सचिव के कार्यालय से पत्रांक–538 वि0 या0 दिनांक–06 / 05 / 2009 के साथ विकास यात्रा 2009 के दौरान प्राप्त संदर्भ सं0–1902930210 के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2050 दिनांक–12 / 06 / 09 के साथ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के विकास यात्रा 2009 के दौरान प्राप्त संदर्भ संख्या–1902930210 के कमांक–4 जिसमें उल्लेख किया गया है कि सभी बेरोजगारों को आस–पास ही उद्योग लगाकर रोजगार दें क्योंकि बाहर जाने पर मार–पीट कर भगा दिया जाता है।

कृषि उत्पाद को बढ़ाने, कृषि उत्पाद को बर्बादी से बचाने एवं कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण करने एवं रोजगार सृजन को मद्दे नजर रखते हुए विजन 2015 तैयार कराया गया है, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है। विजन 2015 में खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में संभावनाओं के आधार पर 16 व्यवसायिक प्लान्ट अनुशंसित की गई है, जिसके कार्यान्वयन से कृषि उत्पादकता में 15 प्रतिशत की वृद्धि एवं उत्पाद की बर्बादी में 15 प्रतिशत की कमी हो सकती है, फलस्वरुप किसानों की आय में 30 प्रतिशत की बढ़ात्तरी का अनुमान है, इसके फलस्वरुप लगभग 6 लाख नियोजन की संभावना अनुमानित है। विजन 15 में 2(दो) इन्टीग्रेटेड फूड जोन, राइस कलस्टर एवं मखाना कलस्टर इत्यादि शामिल है। अभी तक 16 परियोजनाओं पर प्रोजेक्ट एप्रूवल एवं